J.O. I.D. No. UP 1532

न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कासगंज।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 892/2026

CNR UPKR01-002003-2026

मौरध्वज उर्फ मौहर सिंह पुत्र सालिगराम, निवासी ननाखेड़ा, थाना उझानी, जनपद बदायूँ।

बनाम

01– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'', कासगंज।

02– आकाश सोलंकी पुत्र चरन सिंह सोलंकी, निवासी किसान आटा चक्की, सहावर रोड मन्दिर के सामने, थाना कासगंज, जनपद कासगंज।

मुकदमा अपराध संख्या– 485/2025
धारा– 305, 331 (4), 317 (2)
बी0एन0एस0।
थाना– ढ़ोलना।
जनपद – कासगंज।

04–06–2026

01– अभियुक्त मौरध्वज उर्फ मौहर सिंह पुत्र सालिगराम के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपना प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का जमानत आवेदन उसके भाई/ पैरोकार नवाब सिंह पुत्र सालिगराम के शपथपत्र से समर्थित है।

02– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त नितान्त निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में गॉव की पार्टीबन्दी के कारण रंजिशन मिथ्या दोषारोपित किया गया है। प्रकरण की घटना दिनॉक 22–11–2025 की रात्रि की बतायी गयी है, जिसकी प्राथमिकी एक दिन विलम्ब के उपरान्त सम्बन्धित थाने पर दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त ने उपरोक्त धाराओं से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। कथित केस से सम्बन्धित अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई चोरी की वस्तु बरामद

नहीं है। दर्शायी गयी बरामदगी झूठी एवं फर्जी है, जो पुलिस थाने पर बैठकर झूठी प्लान्ट की गयी है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। वास्तव में दिनॉक 21–01–2026 को थाना सहावर की पुलिस अभियुक्त को गॉव ननाखेड़ा से उठाकर ले आयी और अभियुक्त को तीन दिन तक थाने में बन्द रखकर तरह–तरह की शारीरिक एवं मानसिक यातनायें दीं व अभियुक्त पर 9,300/–रूपये व एक मोबाईल कीपैड आई टेल कम्पनी की बरामदगी दर्शाते हुए दिनॉक 24–01–2026 को झूठा चालान कर दिया, जब कि दर्शाये गये रूपये व मोबाईल अभियुक्त के स्व्यं के हैं, मोबाईल के स्वामित्व से सम्बन्धित क्रय रसीद व मोबाईल का डिब्बा आदि मौजूद हैं। पुलिस अभियुक्त के जेल में रहते हुए अज्ञात में पंजीकृत मुकदमों में लगातार उसे झूठा फॅसाती चली आ रही है और अभियुक्त को कई अज्ञात मुकदमों में झूठा नामित कर दिया है। अभियुक्त पर जनपद कासगंज में लगाये गये झूठे मुकदमों के अलावा अन्य कोई मुकदमा अन्य जनपदों में अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत नहीं है और न ही अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता व्यक्ति है। स्वयं के विरूद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त पंजीकृत 11 अन्य वादों के आपराधिक इतिहास का उल्लेख करते हुए, 09 वादों में जमानत स्वीकृत हो जाने का कथन कर, अभियुक्त ने कहा कि वह दिनॉक 24–01–2026 से जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध है तथा प्रकरण के सह अभियुक्तगण बदलशेर, सचिन, उदय सिंह की जमानत न्यायलय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। उक्त आधारों पर जमानत प्रदत्त किये जाने की याचना की।

03– प्रकरण के वादी को जमानत प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रेषित की गयी, जो कि उस पर बजातखास तामील हुयी, परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

04– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि इस प्रकरण की प्राथमिकी वादी गजेन्द्रपाल सिंह के द्वारा दिनॉक 23–11–2025 को थाना ढ़ोलना, जनपद कासगंज पर अज्ञात चोरों के विरूद्ध इस कथन के साथ पंजीकृत करायी गयी कि वादी की देशी शराब की दुकान, जिसकी लाईसेन्स संख्या– 12841 है, जो कि नरेश यादव निवासी मण्डनपुर की दुकान (गढ़ी चकेरी चौराहा) पर संचालित है। दिनॉक 22–11–2025 की रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा दुकान के पिछले हिस्से की दीवार काटकर दुकान के

अन्दर दाखिल होकर चोरी की घटना को अन्जाम दिया गया, जिसमें दुकान का लगभग 1,90,000/–रूपये गुल्लक सहित कैश व चार पेटी देशी शराब व कैमरे की डी0वी0आर0 लेकर फरार हो गये। वादी को सुबह तकरीबन 08 बजे फोन पर सूचना प्राप्त हुयी कि उसकी देशी शराब की दुकान पर चोरी हो गयी है। वादी के दुकान पर कार्यरत सैल्समैन ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। उक्त आधारों पर रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने का कथन किया, जिस पर यह अपराध पंजीकृत हुआ। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है तथा वादी पक्ष को अभियुक्त को मिथ्या दोषारोपित करने का कोई हेतुक प्राप्त नहीं है। केसडायरी में अभियुक्त उपरोक्त व अन्य सह अभियुक्तगण की आपराधिक संलिप्तता के बावत पर्याप्त साक्ष्य संलग्न है। उक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की।

05– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' के तर्कों को सुना व पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

06– उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकरण की घटना की प्राथमिकी अज्ञात चोरों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी। फर्द बरामदगी में वर्णित कथनानुसार अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण को घटना के लगभग दो माह उपरान्त दिनॉक 23–01–2026 को गिरफ्तार किया जाना तथा अभियुक्त के कब्जे से अंकन 2,200/–रूपये बरामद होना तथा जुर्म इकबाल के आधार पर उक्त मामले में संलिप्त किया जाना दर्शित किया गया है, किन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षीनहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित कृत्य मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध बाद विवेचना विवेचनाधिकारी ने आरोपित प्रावधानों में आरोपपत्र भी निर्मित करके विद्वान अवर न्यायालय में प्रेषित कर दिया है, जिस पर सम्बन्धित न्यायालय प्रंसज्ञान भी ले चुका है अर्थात अब अभियुक्त के स्तर से विवेचना को प्रभावित किये जाने की भी कोई सम्भावना नहीं है। इसके अतिरिक्त सह अभियुक्तगण बदलशेर, दलशेर, धर्मपाल व सचिन की जमानतें न्यायालय के पूर्वादेशों से इन्हीं प्रावधानों में स्वीकार की जा चुकी हैं। आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित कृत्य एवं संकलित साक्ष्य उक्त सह

अभियुक्तगण के समान बताया गया है। अभियुक्त दिनॉक 24–01–2026 से जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध है। जहॉ तक अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का सम्बन्ध है, तो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित होती हो। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष के आधार पर मत व्यक्त किये बिना मैं आवेदक/अभियुक्त मौरध्वज उर्फ मौहर सिंह पुत्र सालिगराम को निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर अवमुक्त किये जाना उचित पाता हूँ।

<u>आदेश</u>

I. अभियुक्त मौरध्वज उर्फ मौहर सिंह पुत्र सालिगराम उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 892/2026, मुकदमा अपराध संख्या– 485/2025, धारा 331 (4), 305, 317 (2) बी0एन0एस0, थाना ढ़ोलना, जनपद कासगंज के मामले में निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

II. अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुबलिग– 75,000/–रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इसी धनराशि की दो सन्तोषप्रद जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

III. अभियुक्त अध्याय–35 के अन्तर्गत निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुपालन में हाजिर होगा तथा धारा–481 उपखण्ड (2) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करेगा।

IV. प्रार्थी/अभियुक्त किसी अवैधानिक क्रियाकलाप अथवा उपरोक्त प्रकार के अभियोग को पुनः कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

V. अभियुक्त उक्त मामलों के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

VI. अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में विवेचना/ विचारण में विलम्ब करेगा।

VII. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 35 धारा 481 उपखण्ड (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत परिवर्तित प्रोफार्मा के अनुसार बन्धपत्र व प्रतिभू पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्न बिन्दु समाहित होगा।

''परीक्षणोपरान्त व निर्णयोपरान्त ऐसे उच्चतर न्यायालय के समक्ष जिसके द्वारा निर्णय की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर यदि निर्णय के विरूद्ध दाखिल किसी अपील या पिटीशन में नोटिस जारी किया जाता है, उपसंजात होगा।''

VIII. अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

IX. अभियुक्त द्वारा परीक्षण के मध्य जमानत का दुरूपयोग करने पर उसके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं अनुपस्थित रहने पर धारा 209 भारतीय नागरिक संहिता के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक–04–06–2026

(धनन्जय कुमार मिश्रा)
प्रभारी अधिकारी,
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कासगंज।
(J.O. I.D. No. UP 1532)